Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भील जनजाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ.दीपक गर्ग* बरखा अलंसे**

*शोध निर्देशक, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय,भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है,इसलिए शिक्षा को अक्सर उज्ज्वल भविष्य की कुंजी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में,हम पाते हैं कि गैर-आदिवासी समूह शिक्षा की मदद से लाभान्वित हुए है, लेकिन जनजातियाँ सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। भील जनजाति भारत की तीसरी तथा मध्यप्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है। आदिवासी समुदायों सहित सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों और कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक डिजाइन और क्रियान्वित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भील जनजाति की महिलाओं के लिए उपलब्ध शैक्षिक मानकों और अवसरों को बढ़ाना और उन्नत करना है, जो विशेष रूप से शिक्षा के महत्व के बारे में उनकी चेतना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,साथ ही साथ समाज के भीतर उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं।यह पत्र मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों की शैक्षिक स्थिति पर केंद्रित है,जहां 2011की जनगणना के अनुसार,अनुसूचित जनजाति राज्य की आबादी का 21-1 प्रतिशत 72-62मिलियन में से 15-31मिलियन) है। पत्र माध्यमिक डेटा की मदद से किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। यह पत्र जनजातियों के बीच शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति,शिक्षा, शैक्षिक स्थिति।

प्रस्तावना – भारत विविधताओं वाला देश है। आज भी भारत के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह हैं,जो हजारों वर्षों से विश्व की सभ्यता से दूर,सामाजिक सभ्यता और समाज की मुख्यधारा से दूर क्षेत्रों में रहते हुए भी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना और पहचान को बनाए रखते हैं। इन्हें प्राचीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का सामाजिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इन मानव समूहों को आदिवासी जैसे नामों से संदर्भित किया जाता है। कोई भी मानव समुदाय जिसमें मानव लक्षण,विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के साथ संकोच,पिछड़ापन जैसी विशेषताएं होंउसे आदिवासी कहा जाता है। इनमें उनकी मूल प्रजातियों की विशेषताएं अधिक स्पष्ट होती हैं। यानी इनका जातीय मिश्रण ज्यादा नहीं होता। आदिवासी शब्द को स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं,एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है।

विश्व की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा जनजातियाँ भारत में रहती हैं। भारत में लगभग 697जनजातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या 10-45करोड़ है। इनमें से कुछ हैं मुंडा,खड़िया, बोडो,भील, संथाल, मीना, लोहार, प्रधान, सहरिया,उरांव आदि। इन जनजातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,महाराष्ट्र,उड़ीसा और झारखंड राज्यों में अधिक है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार पुरातन मान्यता, विशेष संस्कृति,भौगोलिक अलगाव,अन्य समुदायों के बीच संकोच और पिछड़ापन है। उनकी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी भी बहुत कम है। चाहे वह शिशु मृत्यु दर हो,स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि का आकार हो या पीने योग्य पानी की उपलब्धता या बिजली तक पहुंच हो,आदिवासी समुदाय आम लोगों से बहुत पीछे है।

आदिवासियों की संस्कृति –आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण एक अलग पहचान है। भारत के अधिकांश आदिवासियों की जीवनशैली पर जंगलों का प्रभाव रहा है क्योंकि उन्हें शुरू से ही आजीविका के साधन जंगलों से मिलते रहे हैं। आदिवासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था एक अविभाज्य इकाई है। यह समुदाय अक्सर कई प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर होता हैं,जिसे अनुकूल बनाने के लिए कई कानूनी प्रयास,व्यक्तिगत और सामूहिक पूजा आदि करते हैं। ये लोग प्रकृति को देवी-देवताओं की तरह पूजते हैं क्योंकि प्रकृति से ही उन्हें अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ,फल,फूल,शहद,गोंद और लकड़ी आदि प्राप्त होती है। जो उन्हें भोजन प्रदान करती है। उनके लिए जंगल ही सबकुछ है। आदिवासियों की जीवनशैली में शिकार का बहुत महत्व है। उन्हें न केवल अपने भोजन के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी जानवरों को मारना पड़ता है। यानी पूरी संस्कृति जंगल पर ही आधारित है।

साहित्य की समीक्षा

रामचंद्रन,आर. (2017)ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता का पता लगाना और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की

स्कूल छोड़ने की दर का पता लगाना था।

ब्रहमानंदम,टी (2016) ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन कियारू मुद्दे और चुनौतियाँ। इस अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों का पता लगाना और उनकी शिक्षा में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाना था। डेटा के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन अनुसूचित जनजातियों की तुलना में काफी कम था।

सत्यसावित्री,वी.बी. (2018) ने भारत में आश्रम विद्यालयों के मुद्दों और आदिवासी शिक्षा की चुनौतियों के प्रभाव पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि वर्ष 1961में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 8-53प्रतिशत और 28-3प्रतिशत थी।1991में यह बढ़कर अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक श्रेणियों में क्रमश: 29-6प्रतिशत और 52-21 प्रतिशत हो गई। 2011में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बढ़कर 58-96 प्रतिशत और कुल जनसंख्या का 72-99 प्रतिशत हो गई। गरीबी उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक है। जिन आदिवासी माता-पिता के बच्चे आश्रम स्कूलों में पढ़ते हैं,वे कृषि या पारंपरिक गतिविधियों में संलग्न होंगे,जो उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद नहीं करेगा।

मकबूल,मारिया और अख्तर,मफारा (2019) ने वंचित समाज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। यह पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग निरक्षर हैं और साक्षर लोगों में से अधिकांश की शैक्षिक उपलब्धि न्यूनतम है। यह भी पाया गया कि अनुसूचित जातियों की तीनों पीढ़ियों में निरक्षरता अधिक है।

राघवेंद्र,आर.एच. (2020) ने भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन किया। खोज से पता चला कि उन्हें अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जाति या नस्ल जैसी सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालाँकि,अनुसूचित जातियों की मानव विकास स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए,विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाना जारी रखना चाहिए और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समानता का अनुसरण करना चाहिए।

उद्देश्य:

1. धार जिले की जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थितिका अध्ययन करना।
2. मध्य प्रदेश की जनजातियों की शैक्षिक स्थिति के उत्थान और कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रमों के विकास को समझना।

शोध पद्धति – इस शोध पत्र में ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण भारत की जनसंख्या शामिल है। इसके लिए भारत और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को अध्ययन के नमूने के रूप में चुना गया है। जनजातियों की शैक्षिक स्थिति जानने के लिए शोधकर्ता ने एक शैक्षिक प्रारूप का उपयोग किया है। डेटा को द्वितीयक स्रोतों (भारत की जनगणना 2011)के माध्यम से संकलित किया गया है।

डेटा विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएँ और सर्वेक्षण के परिणाम – केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें जनजातीय महिलाओं को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। जहाँ कुछ योजनाएँ सीधे महिलाओं को लक्षित करती हैं,वहीं कई अन्य महिला केंद्रित मुद्दों की ओर झुकाव के साथ सामान्य रूप से जनजातीय लोगों के लिए हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ जो सीधे अध्ययन क्षेत्र में चल रही हैं,उनके लक्ष्य,उद्देश्य और उपलब्धियों के साथ-साथ सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा सामने आई जमीनी स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है।

शिक्षा संबंधी योजनाएँ– शिक्षा को सभी प्रकार के सांस्कृतिक,सामाजिक और आर्थिक विकास (सेन,1994)के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है जो किसी राष्ट्र के मानव संसाधन और आर्थिक परिदृश्य को बढ़ावा देता है (यूएनएफपीए)। इसके अलावा,विशेष रूप से महिलाओं पर शिक्षा में निवेश बेहतर आर्थिक स्थिति,मजबूत निर्णय लेने की शक्ति,आत्मविश्वास में वृद्धि, संसाधनों पर नियंत्रण, शारीरिक गतिशीलता में छूट,प्रभावी पति-पत्नी संचार और बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक उन्नत स्थिति लाता है (मेसन,1998)। चूंकि शिक्षा को आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता हैं,इसलिए सरकार ने उनके शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। आदिवासी छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग सुविधाओं,मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और गणवेश के साथ मुफ्त शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आदिवासी शिक्षा के सुधार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम,कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,आवासीय आश्रम विद्यालय,मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के तहत विशेष ध्यान दिया गया है। इसी तरह आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए,संविधान के अनुच्छेद 275 (1)के तहत भारत सरकार द्वारा कक्षा VI से कक्षा XII तक 20राज्यों में 100मॉडल आवासीय विद्यालय (एकलव्य मॉडल स्कूल) स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें उच्च और व्यावसायिक स्तर के साथ-साथ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। 2011की जनगणना के अनुसार,राज्य में साक्षरता दर लगभग 73 प्रतिशत हैं,जो बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता हैं,लेकिन एसटी के लिए,यह केवल 52-24 प्रतिशतहै जो औसत साक्षरता दर (ALR) से पीछे है। इस साहित्यिक अंतर को पाटने के लिए,मध्य प्रदेश सरकार साक्षरता के आधार पर वास्तविक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ योजनाएँ जो अध्ययन क्षेत्र में सीधे संचालित हो रही हैं,उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

कन्या शिक्षा परिसर– मध्य प्रदेश का आदिवासी कल्याण विभाग मेधावी एससीएसटी लड़कियों को मुफ्त छात्रावास,किताबें,लेखन सामग्री,कंप्यूटर प्रशिक्षण और समाचार पत्र प्रदान करने के लिए यह योजना चलाता है। एसटी गर्ल्स साइंस अवार्ड स्कीमरू यह योजना विज्ञान में उनकी योग्यता के लिए 12वीं कक्षा की दस एसटी लड़कियों को पुरस्कृत करती है।

आवास भत्ता सहायता योजना– यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों के लिए हैं, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज के पास आवास किराए पर लेना पड़ता है।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना– आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं।1990-91से जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय के नाम से एक केंद्रीय योजना

लागू कर रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकार 100प्रतिशत वित्त पोषण के लिए लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और गैर-नक्सल जनजातीय क्षेत्रों में 50:50 अनुपात के लिए लड़कों के आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में पीटीजी सहित एसटी के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना और आदिवासी छात्रों के बीच साक्षरता दर को बढ़ाना और साथ ही उन्हें देश की अन्य आबादी के बराबर लाना है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना कुछ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सभी लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और लड़कों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इन विद्यालयों के संचालन और रखरखाव के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। समिति के अनुसार, आश्रम विद्यालयों के रखरखाव का काम राज्य सरकारों को सौंपने के कारण इन विद्यालयों की स्थिति खराब हो गई है। समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की कि विद्यालय निर्धारित मापदंडों का पालन करें और राज्यों द्वारा नियमित निगरानी की जाए।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें योजना के फंड से संबंधित देनदारियों का अपना हिस्सा वहन करने में अनिच्छुक हैं। इससे एसटी छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई होती है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9और 10में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के लिए है। समिति ने कहा कि 2014-15से 2017-18तक इस योजना के तहत कुछ राज्यों को धनराशि जारी नहीं की गई है। समिति ने कहा कि मंत्रालय की ओर से दृढ़ संकल्प की कमी के कारण अनुदान के वितरण में ऐसी लापरवाही हुई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)- एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्य और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति विद्यालय 480 छात्रों की क्षमता के साथ ईएमआरएस स्थापित किए गए हैं। ईएमआरएस की स्थापना राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मांग आधारित है। ऐसे स्कूलों का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। समिति ने पाया कि अधिकांश ईएमआरएस अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं,उनमें बुनियादी ढांचा खराब है और शिक्षण स्टाफ अपर्याप्त है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो इन स्कूलों के मानक को ऊपर उठाने और उन्हें ठीक से कार्यात्मक बनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समिति ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में,इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। इसने कहा कि यह छात्रों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में,समिति ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रचार महत्वपूर्ण हैं।

आंगनवाड़ी- महिला एवं बाल विकास (W&CD)विभाग ने बर्नार्ड वान लीयर फाउंडेशन (BvLF),2017 के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसने मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी जिलों में प्रारंभिक बचपन शिक्षा का एक मॉडल पेश किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं। सीखने के माहौल को बढ़ाना,पप.बेहतर भाषा दक्षता का प्रदर्शन करना और पपप.प्राथमिक विद्यालयों में सफल संक्रमण करना।

आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी आश्रम स्कूल

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- अगस्त 2004में,यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया गया,ताकि 10-14वर्ष की आयु के बीच के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों तथा अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच पढ़ाई छोड़ चुके और कभी नामांकित न हुए बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूह की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2007से इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में मिला दिया गया है। इस योजना में,संबंधित क्षेत्र में मुख्य रूप से पढ़ाई छोड़ चुके वर्ग से नामांकित लड़कियों को आवासीय सुविधा और अन्य शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक स्थिति पर सर्वेक्षण के परिणाम: यद्यपि यह पाया गया है कि वयस्क आदिवासी कम या बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हैं (जैसा कि अध्ययन क्षेत्र में 8 प्रतिशतआदिवासी महिलाओं के लिए देखा गया,जिनमें से 86 प्रतिशतने केवल निम्न प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है) ,लेकिन वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते पाए गए। हालांकि यह केवल अध्ययन क्षेत्र में संचालित सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के कारण ही प्राप्त किया जा सका।

तालिका 1 : अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति:

स्कूल जाने वालीजनजातीय महिलाओं का प्रतिशत		यदि हाँ,तो क्या आप शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम हैं?	
हां	नहीं	हां	नहीं
16.5%	83.5%	4.3%	95.7%

यदि शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम न हों, तो महिलाओं को शिक्षा कहाँ से मिलेगी:

	सरकारी योजनाएँ/ आंगनवाड़ी	एनजीओ द्वारा प्रावधान	अनौपचारिक शिक्षा	कोई अन्य	सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों
कुल जनजातीय जनसंख्या	67.5%	7.9%	0.9%	3.7%	20%
धार	21.9%	0.2%	1.9%	2.9%	31.4%

स्रोत: सर्वेक्षण के परिणाम

जनजातीय महिलाओं की शिक्षा पर शोध तालिका की विस्तृत व्याख्या

पहला खंड - शिक्षा वहन करने की क्षमता:

1. पहला प्रश्न पूछता है कि क्या स्कूल जाने वाली जनजातीय महिलाएँ अपनी शिक्षा से जुड़े खर्चों को वहन कर सकती हैं।
1. 16.5% उत्तरदाताओं ने शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम होने के लिए 'हाँ' का उत्तर दिया।
2. 33.5% ने 'नहीं' का उत्तर दिया,जो दर्शाता है कि वे शिक्षा का खर्च

वहन नहीं कर सकते।

3. 4.3% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
4. 95.7% एक महत्वपूर्ण बहुमत को इंगित करता है जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।

दूसरा खंड – शिक्षा के स्रोत:

1. तालिका का दूसरा भाग बताता है कि अगर महिलाएँ शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकतीं,तो वे कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।
2. सरकारी योजनाएँ/आंगनवाड़ी: यह ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों को संदर्भित करता है।
3. एनजीओ प्रावधान: यह दर्शाता है कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शैक्षिक संसाधन या सहायता प्रदान कर सकते हैं।
4. अनौपचारिक शिक्षा: यह उस शिक्षा को संदर्भित करता है जो औपचारिक संस्थानों,जैसे सामुदायिक शिक्षा या स्व-अध्ययन के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है।
5. अन्य स्रोत: इस श्रेणी में पिछले विकल्पों में निर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य साधन शामिल हैं।
6. सरकारी योजनाएँ और एनजीओ दोनों: यह विकल्प बताता है कि महिलाएँ सरकारी कार्यक्रमों और एनजीओ दोनों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

शिक्षा के स्रोतों के लिए प्रतिशत: तालिका शिक्षा के प्रत्येक स्रोत के लिए प्रतिशत प्रदान करती है:

1. कुल आदिवासी आबादी का 67.5% शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं या आंगनवाड़ी पर निर्भर है।
2. 7.9% लोग शिक्षा के लिए एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 0.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 3.7% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 20% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

अतिरिक्त डेटा– तालिका में 'धार' नामक उपसमूह के लिए विशिष्ट प्रतिशत भी शामिल हैं:

1. 21.9% लोग सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं।
2. 0.2% लोग एनजीओ पर निर्भर हैं।
3. 1.9% लोग अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
4. 2.9% लोग अन्य माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. 31.4% लोग सरकारी योजनाओं और एनजीओ दोनों से लाभान्वित होते हैं।

निष्कर्ष :

1. डेटा वित्तीय बाधाओं के कारण शिक्षा तक पहुँचने में आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
2. यह शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सरकार और एनजीओ के समर्थन के महत्व पर भी जोर देता है।
3. इन आँकड़ों को समझने से आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिल सकती है।

तालिका का यह विस्तृत विवरण आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली शिक्षा संबंधी चुनौतियों और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।

शिक्षा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शैक्षिक विकास के द्वारा ही कोई देश प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। यह खुशहाली के लिए आवश्यक साधन है। जहां तक जनजातीय शिक्षा का सवाल हैं,उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। जनजातीय लोगों और उनकी शिक्षा का स्तर खराब है। उनके लिए शैक्षिक विकास बहुत जरूरी हैं,जब तक वे शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं रहेंगे। उनकी खराब शिक्षा स्थिति के पीछे कुछ कारक हैं।

रुचि का अभाव : जनजातीय लोगों की शिक्षा में रुचि नहीं होती। जनजातीय माता-पिता की निरक्षरता उनके बच्चों की शिक्षा में रुचि को प्रभावित करती है। जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में रहती हैं। गरीबी के कारण परिवहन के साधनों की कमी के कारण माता-पिता और बच्चे दोनों ही शिक्षा में रुचि खो देते हैं,वे शिक्षा के महत्व को समझने में विफल रहते हैं,खासकर बालिकाओं की शिक्षा।

जागरूकता का अभाव : जनजातियों की शिक्षा में रुचि नहीं हैं,जागरूकता का अभाव इसका एक मुख्य कारण है। वे शिक्षा के महत्व को समझे बिना गरीबी उन्मूलन में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरकारी योजनाएँ उन लोगों तक ठीक से नहीं पहुँच पातीं जो दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं। स्कूलों की दूरीरू यह भी एसटी छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संचार की कमी,परिवहन की कमी उन लोगों के लिए है जो जंगल,पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

शिक्षा का माध्यम: जनजातियों की अपनी भाषा होती है। विभिन्न आदिवासी समूहों की अलग-अलग बोलियाँ होती हैं,लेकिन स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग अपनी भाषा जैसे गोंडी भाषा,बैगानी भाषा आदि बोलते हैं,इसलिए वे शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इससे शिक्षकों और आदिवासी छात्रों के बीच दूरी पैदा होती हैं,इससे आदिवासी छात्रों में रुचि की कमी होती है।

खराब अर्थव्यवस्था: खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे शिक्षा में अपनी रुचि खो देते हैं। इसलिए आदिवासी छात्र पैसे कमाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र,कृषि क्षेत्र में शामिल होने का प्रयास करते हैं। स्कूल जाना उनके लिए समय की बर्बादी है।

माता-पिता का रवैया: उनके घर का माहौल शिक्षा के प्रति कोई बौद्धिक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। अधिकांश माता-पिता अशिक्षित हैं या उनकी शिक्षा का स्तर कम है। इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से वे शिक्षा की आवश्यकता को नहीं समझते हैं और इसे छोड़ देते हैं।

सामाजिक दूरी: जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे गैर-आदिवासी छात्रों से बातचीत करने में शर्म महसूस करते हैं।

मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी लोगों के शिक्षा के निम्न स्तर के ये कुछ कारण हैं। सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्षेत्र आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार को आदिवासी समुदायों के शैक्षिक विकास की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी

चाहिए। सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन दोनों को आदिवासी महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी योजनाएं हैं, एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां हैं,लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों खासकर दूरदराज के गांवों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं,इसलिए आदिवासी लोग खुद को मुख्यधारा से दूर रख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों का सर्वांगीण विकास संभव है और शिक्षा उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंबष्ट,एन.के. (1970): आदिवासी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन,एस. चांद एंड कंपनी,नई दिल्ली।
2. आनंदा,जी. (1995):आदिवासी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की बर्बादी। प्राइमरी टीचर,XX(1)
3. गौतम,वी.(2003):'भारत में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और शिक्षण माध्यम का मुद्दारू एक जनशाला अनुभव।' संयुक्त राष्ट्र/सरकार जनशाला कार्यक्रम। नई दिल्ली।
4. चक्रवर्ती, एम. और सिंगरोले,सी.एस.'आदिवासी शिक्षा की समस्याएं - विकास की कुंजी' मैन इन इंडिया,खंड 14, 1983,पृष्ठ 91-96।
5. दाश बी.एन. (2004): शिक्षा और समाज,डोमिनेट प्रकाशक और वितरक,नई दिल्ली।
6. नाइक,डी.जे. 'गुजरात में आदिवासी कल्याण' 15 (12)मार्च,1969
7. पी. आदिनारायण रेड्डी और उमा देवी,डी. (2005): आदिवासी महिला शिक्षा: बाधाएँ और रणनीतियाँ,एसोसिएटेड पब्लिशर्स,नई दिल्ली।
8. बोस,ए.बी. (1970):'अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास की समस्याएं',मैन इन इंडिया,खंड 50
9. ब्रमानंदम,टी (2016)ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया: मुद्दे और चुनौतियाँ। एनईएचयू जर्नल। 0972-8406,15(2),69-85।
10. भारत सरकार-जनजातीय मामलों का मंत्रालय (2013)। भारत में अनुसूचित जनजातियों का सांख्यिकीय प्रोफाइल,नई दिल्ली।
11. मकबूल, मारिया और अख्तर,मफारा (2019)। वंचित समाज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचितजनजातियों की शैक्षणिक http://www.educationjournal.org/download/875/4-2-16-558.pdf.
12. मित्तल ए.सी.,जे.बी. शर्मा (1998): आदिवासी शिक्षा,प्रशासन और विकास,राधा प्रकाशन,नई दिल्ली।
13. मिश्रा,एम. (2007)'उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति'। आदिवासी शिक्षा विभाग,उड़ीसा।
14. यूनिसेफ, भारत साक्षरता दर,2011,10अक्टूबर 2011को एक्सेस किया गया।
15. राघवेंद्र,आर.एच. (2020)। भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता और स्वास्थ्य स्थिति। https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2455328X19898449
16. रामचंद्रन,आर. (2017)ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन किया। तकनीकी अनुसंधान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2454-2024, 2(X), 632-636.
17. श्रीपति,वी. और थिरुवेंगदम,ए.के. 'भारत: संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है' ,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ,खंड 2,संख्या 1,2004,पृष्ठ 148-158।
18. सत्यसावित्री, वी.बी. (2018).आश्रम विद्यालयों के मुद्दों का प्रभाव और भारत में आदिवासी शिक्षा की चुनौतियाँ। http://www.ijsrp.org/research-paper-0218/ijsrp-p7459.pdf
19. सिंह, वाई.के. और नाथ,आर. भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास,एपीएच प्रकाशन,नई दिल्ली,2013।
20. सूरी,आर.के. और कल्पना राजाराम,भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम,नई दिल्ली,2008।
21. सेट्टी,ई.डी. और रॉस,ई.एल. 'ग्रामीण भारत में अनुप्रयुक्त शिक्षा में एक केस स्टडी।' सामुदायिक विकास जर्नल,खंड 22,संख्या 2, 1987,पृष्ठ 120-129।

****